

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

सं. 67/2010-आयकर

का.आ. 1898(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80झख की उप-धारा (10) के खंड (क) एवं (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा 3 जून, 1992 की अधिसूचना सं. टीपीबी-4391/4080 (ए)/यूडी-II (आरडीपी) के प्रावधानों के साथ पठित ग्रेटर मुम्बई के लिए विकास नियंत्रण विनियम, 1991 के विनियम 33(10) में निहित योजना को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धारा के प्रयोजनार्थ योजना के रूप में अधिसूचित करता है :—

- (i) अधिसूचना सं. टीपीबी-4391/4080 (ए)/यूडी-II (आरडीपी) दिनांक 3 जून, 1992 में उल्लिखित श्रेणी-VII में आने वाले स्लम विकास को योजना से बहिष्कृत किया जाएगा;
- (ii) विनियम 33(10) जो स्लम एवं गैर स्लम क्षेत्रों के संयुक्त विकास के लिए प्रावधान करता है, के परिशिष्ट IV के खंड 7.7 के अंतर्गत आने वाले स्लम विकास को योजना से बहिष्कृत किया जाएगा; तथा
- (iii) एतद्वारा अधिसूचित योजना में किसी संशोधन को बोर्ड द्वारा पुनः अधिसूचित किए जाने की जरूरत होगी ।

2. यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 178/37/2006-आ.का.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव